
**Template for the Information Handbook Under
Right to Information Act**

कार्यालय कलेक्टर(आदिम जाति कल्याण)नरसिंहपुर(म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के
अन्तर्गत मैनुअल

अध्याय—1

प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अनुसार इस हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है।

1.2 उद्देश्य :-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस पुस्तिका का निर्माण किया जाकर जनसामान्य को इस अधिनियम से भली भांति अवगत कराया जा सके इस दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अंतर्गत विभागीय गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को समेकित किया गया है।

1.3 उपयोग :-

इस पुस्तिका का निर्माण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/संस्थानों/ संगठनों के उपयोग हेतु किया गया है।

1.4 प्रारूप :-विभाग के सम्पूर्ण संरचना, योजनाओं,कार्यक्रमों,को विभिन्न प्रारूपों में संकलित किया गया है ।

1.5 परिभाषायें :-

पुस्तिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग से आशय भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन वर्गों में सम्मिलित की गयी जातियों से है।

1.6 समायोजित विषय एवं सम्पर्क व्यक्ति :-

इस पुस्तिका में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संचालित समस्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा इस सम्बंध में विहित शासन की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गयी है, एवं इन जानकारियों के सम्पर्क के लिए **जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग नरसिंह भवन, कक्ष कं. 21 एवं 22 नरसिंहपुर** से सम्पर्क किया जा सकता है।

1.7 जानकारी हेतु विधि एवं शुल्क :-

पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एवं मध्यप्रदेश शासन के द्वारा उल्लेखित विधि तथा निर्धारित की गयी शुल्क से प्राप्त की जा सकेगी।

अध्याय – 2 (मैनुअल –1)

संगठन को विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :—इस विभाग का गठन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से किया गया है।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :—इस विभाग का मिशन इन वर्गों के समग्र और सम्पूर्ण विकास पर केन्द्रित है। इस हेतु विभागीय संचालित योजनाओं के माध्यम से एवं जिला स्तर पर इन वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रख योजनाओं का निर्माण/क्रियान्वयन करना है।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :—भारत के संविधान में उल्लेखित अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण एवं उत्थान के दृष्टिकोण से आदिम जाति कल्याण विभाग की संरचना की गई। कालांतर में अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों को भी इसमें सम्मिलित कर नवीन रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निर्मित किया गया। जिला स्तर पर जिला संयोजक, कार्यालय, एवं प्रदेश स्तर पर तीनों सवर्गों के पृथक-पृथक संचालनालय बनाये गये।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :—

शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अंतर्गत शामिल की गई जातियों के लोगों एवं उनके परिवारों के सम्पूर्ण उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों को लाभ पहुंचाना इस विभाग का प्रमुख कर्तव्य है।

2.5 लोक प्राधिकरण के कृत्य :—अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याणनार्थ शासन की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं इस वर्ग तक लाभ पहुंचाना, इसका मुख्य कृत्य है।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :—विभाग द्वारा उल्लेखित वर्गों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति हेतु प्रदत्त मुख्यतः सेवायें निम्नानुसार हैं:—


1. **छात्रावास/आश्रमों का संचालन** :—जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 36 छात्रावास/आश्रम का संचालन किया जाता है। जिनमें शासन द्वारा स्वीकृत 1180 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर शैक्षणिक उन्नति के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

2. **व्यक्ति एवं परिवार मूलक योजनायें** :—इन वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिनमें कन्या विवाह, सामूहिक विवाह, अंतर्जातीय विवाह के रूप में तथा अत्याचार होने की दशा में आर्थिक राहत पुर्नवास, शैक्षणिक सुविधा, विधिक सहायता आदि प्रदान की जाती है।

3. **अधोसंरचना का विकास** :—इन वर्गों के निवास के क्षेत्रों में शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधोसंरचना का विकास कर इनको समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष सुविधायें प्रदान करने की दिशा में विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से कार्यों को हाथ में लिया जाता है।

2.7 **लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संचनात्मक ढाँचा**—

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय के अधीन कार्यरत है। कार्यालय प्रमुख के रूप में जिला संयोजक के द्वारा कार्यालय का नियंत्रण किया जाता है। कार्यालयीन संरचना निम्नानुसार है :-



2.8 **कार्य दक्षिता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें** :-

2.9 **जनसहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था** :-

2.10 **जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था** :-

जन सेवाओं के अनुश्रवण तथा शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला संयोजक आदिम जाति विभाग एवं कलेक्टर के द्वारा शिकायतों का निराकरण किया जाता है। साथ ही

विभिन्न विभागीय जनसेवाओं के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर सामयिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से अनुश्रवण किया जाता है।

अध्याय – 3 (मैनुअल-2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

3.1 अधिकारियों के प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार :-

पद का नाम	जिला संयोजक / क्षेत्र संयोजक	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-क/2-18/ 91 / 9/1 दिनांक 16.1.92 के द्वारा विभागीय ढांचे के पुर्नगठन अंतर्गत प्रशासकीय अधिकार के अनुसार
	वित्तीय	मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1047/94/ब-1/4 दिनांक 20.10.94 एवं संशोधित पत्र क्रमांक 526/99 /सी/4 दिनांक 30.3.99 से वित्त संहिता भाग-1 एवं 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार
	अन्य	विभागीय निर्देशों के अंतर्गत अन्य शक्तियों का उपयोग
कर्तव्य	1. विभागीय निर्देशों के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	
	2. विभागीय संस्थाओं का उचित संचालन एवं उन पर नियंत्रण	
	3. विभागीय कर्मचारियों के उचित दायित्व निर्वहन पर नियंत्रण	

अध्याय – 4(मैनुअल-3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

- 4.1 विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप में है :-

अभिलेख का नाम :- अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना
का प्रकार

अभिलेख

नियम

नियम 1979

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-म.प्र.शासन द्वारा जिले के जरूरतमंद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को तत्काल राहत स्वीकृत करने के लिए यह नियम बनाये गये है । इस योजनांतर्गत इस वर्ग के ऐसे लोग जो सवर्णा द्वारा उत्पीड़न के फलस्वरूप शारीरिक अथवा साम्प्रतिक अथवा दोनों प्रकार की हानि उठाते है, विवाह योग्य अनाथ हरिजन कन्याओं के विवाह आर्थिक रूप से विपन्न परिवार की कन्या का विवाह, अपाहिज,अंधे,निराश्रित, एवं जीविकोपार्जन में असमर्थ, जिसकी कोई देखभाल न करने वाला हो, दुर्घटना एवं देवीय प्रकोप के कारण असमर्थ, मुखिया के निधन हो जाने परिवार का भरण पोषण, आदि इसके पात्र होंगे ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते है

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष क्रमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण)
का प्रकार

अभिलेख

अधिनियम

अधिनियम 1989

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:—भारत गणराज्य के 40 वें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया है । इस अधिनियम अंतर्गत 5 अध्यायों में अनुसूचित जातियों और जनजाति के सदस्यों का अपराध करने का निवारण करने के लिए, एवं ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुर्नवास तथा उससे संबंधित या उससे अनुशांगिक विषयों का उपबंध करने का उल्लेख किया गया है । इस अधिनियम की नियम 12(4) में क्रमांक 1 से 22 तक विभिन्न धाराओं के अपराध के लिए राहत की न्यूनतम राशियां निर्धारित की गई है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते है

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष क्रमांक
–22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष–230307– कार्यालय

फेक्स–230307

ई–मेल– twelfare@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- आकस्मिकता योजना नियम 1995
का प्रकार

अभिलेख

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-म.प्र.शासन,अनुसूचित जाति,और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर 1 मार्च 1996 से प्रभावशील उक्त नियम का निर्माण किया गया है । इस नियम अंतर्गत अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के लोगों को राहत सहायता,गवाहों को यात्रा भत्ता,भरण पोषण और परिवहन सुविधायें, चिकित्सा,मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार,पेयजल, कृषि भूमि, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुर्नवास, स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग सहायता, तथा प्रचार-प्रसार व जनजागरण की योजनाओं को समेकित किया गया है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कर्मांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfarenar@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
का प्रकार

अभिलेख

अधिनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:—भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उसमें उपजी किसी निर्योग्यता, को लागू करने और उससे संबंधित बातों के लिए दण्ड विहित करने के लिए 1955 में इस अधिनियम की स्थापना की गई । इस अधिनियम अंतर्गत धार्मिक निर्योग्यतायें लागू करने के लिए, सामाजिक निर्योग्यतायें लागू करने के लिए, अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने से इंकार करने के लिए, माल बेचने या सेवा करने से इंकार करने के लिए, अस्पृश्यता से उद्भूत अन्य अपराधों के लिए, दण्ड की विवेचना की गई । इस अधिनियम अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में अजाक पुलिस थानों की स्थापना की गई है ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष क्रमांक
—22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष—230307— कार्यालय

फैक्स—230307

ई—मेल— twelfare@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- छात्रावास निर्देश
का प्रकार

अभिलेख

नियम-निर्देश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-म.प्र.शासन, अनुसूचित जाति,जनजाति विभाग द्वारा छात्रावास नियम वर्ष 1966-67 का निर्माण अनुसूचित जाति, एवं जनजाति के बालकों /कन्या को आश्रम एवं छात्रावास में निवास करने हेतु किया गया है । इस नियम अंतर्गत इन संस्थाओं में प्रवेश,सुविधायें, संचालन व्यवस्था, अधिकार,कर्तव्य,आदि की विवेचना की गई ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते है

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कर्मांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- निर्माण निर्देश
प्रकार

अभिलेख का निर्देश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत चलने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं । जिसमें निर्माण कार्यों के वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार भी निहित हैं ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति

शासन निर्देश अनुसार

को प्राप्त करने का शुल्क

–7–

अभिलेख का नाम :- विवाह प्रोत्साहन योजना निर्देश
का प्रकार

अभिलेख

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा बांछडत्रा एवं बेड़िया सजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1984, अनुसूचित जाति सामूहिक विवाह योजना नियम 1998,अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रोत्साहन योजना नियम 1976,यथा संशोधित 1978, आदि विवाह प्रोत्साहन योजना नियम बनाये गये है । इन नियमों अंतर्गत इन वर्गों को नगद पुरूस्कार, स्वर्ण पदक, यात्रा व्यय, प्रशंसा पत्र, आर्थिक सहायता आदि दिये जाने की पृथक-पृथक प्रावधान है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते है

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति

शासन निर्देश अनुसार

को प्राप्त करने का शुल्क

—8—

अभिलेख का नाम :- अनुसूचित जाति बस्तियों का सघन विकास निर्देश अभिलेख
का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा " म.प्र. हरिजन बस्ती विकास योजना नियम 1989 " से यथा संशोधित लागू किये गये हैं,इन नियमों के अंतर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के ग्राम तथा नगरीय बस्ती जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है में नवीन पेयजल कूप निर्माण, पेयजल कूप मरम्मत/गहरीकरण, सामूदायिक भवन,वर्कसेड,प्राथमिक शाला, उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन,चबूतरा निर्माण, आंतरिक मार्ग, सामूदायिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को सम्मिलित किया गया है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfarenar@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

—9—

अभिलेख का नाम :- अस्वच्छ धंधा व्यवसायीकरण निर्देश
प्रकार

अभिलेख का

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अस्वच्छ धंधों का व्यावसायीकरण योजना नियम 1982, का निर्माण अस्वच्छ धंधों के कार्य की दशा में सुधार के कार्यक्रम, परिमूलक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, इन नियमों अंतर्गत लिए गए हैं इस योजनांतर्गत सूखे शौचालयों को फलेश शौचालय में परिवर्तित करने हेतु अनुदान, कचरा मैला गाड़ी का प्रदाय, व्हील वेरोज एवं मैला साफ करने के लिए तकनीकी औजारों का क्रय, सेप्टिक टैंकों एवं नालियों की सफाई हेतु मशीनों का क्रय, सफाई कामगारों का गमबूट, उस्तानें एवं पंजा आदि प्रदाय करने, ट्रांजिट होम का निर्माण, वर्किंगसेड का निर्माण आदि योजनाओं हेतु नगर पालिका नगर निगम/नगर पंचायत को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है । साथ ही परिवार मूलक कार्यक्रमों में मृत मवेशी के चमड़ा, हड्डी, मांस, आदि के विक्रय स्थल एवं अन्य स्थानों तक परिवहन के लिए बैलगाड़ी एवं बैलजोड़ी तथा अस्वच्छ धंधों में कार्यरत व्यक्तियों के प्राथमिक शाला में पढ़नेवाले बच्चों को गणवेश प्रदान की जाती है ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष क्रमांक
—22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष—230307— कार्यालय
फेक्स—230307

ई-मेल— twelfarenar@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

—10—

अभिलेख का नाम :- अस्पृश्यता निवारण ग्राम पंचायतों के निर्देश
का प्रकार

अभिलेख निर्देश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को अस्पृश्यता निवारण संबंधी कार्यों हेतु प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से ऐसी ग्राम पंचायतों को जो इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करे आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में घोषित कर पुरस्कृत करने के निर्देश दिये गये इस योजना में ग्राम पंचायतों के द्वारा हरिजन मोहल्लों की साफ-सफाई ,नाली,प्रकाश,सड़क,पीने के पानी की व्यवस्था, कत अपराधिक और सिविल वादों, छुआछूत मिटाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों, प्रोढ़ साक्षरता बढ़ाने के प्रयास, अनुसूचित जाति को भूमि आवंटन, कृषि मजदूरों को मजदूरी, ऋण ग्रस्तता निवारण के प्रयास, सामाजिक तथा धार्मिक उपासना के स्थानों पर अनुसूचित जाति को समता से प्रवेश के आधार पर आदर्श ग्राम पंचायत का चयन जिला स्तर पर किया जाकर 5000/- रुपये की पुरस्कार राशि ग्राम पंचायत को प्रदान की जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

—11—

अभिलेख का नाम :- विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता निर्देश
प्रकार

अभिलेख का नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा ऐसे नवीन विधि स्नातकों को जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं 200/- प्रति माह की दर से एक वर्ष तक आर्थिक सहायता विधि व्यवसाय में स्थापित होने के लिए प्रदान की जाती है । इस योजना में 5 वर्ष तक विधि व्यवसाय करने की अनिवार्यता होगी ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फैक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति

शासन निर्देश अनुसार

को प्राप्त करने का शुल्क

—12—

अभिलेख का नाम :- राज्य छात्रवृत्ति निर्देश
का प्रकार

अभिलेख

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति देने हेतु छात्रवृत्ति नियम 1972 का निर्माण किया गया । एवं पिछड़े वर्ग के लिए छात्रवृत्ति नियम 1982 का निर्माण किया गया । इस योजना में कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 10 तक राज्य छात्रवृत्ति की भिन्न-भिन्न दरों पर छात्रवृत्ति दी जाती है । वर्तमान में यह सम्पूर्ण व्यवस्था बैंक माध्यम से संचालित है । राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृति के अधिकारों का भी राज्य शासन द्वारा विकेन्द्रीकरण कर विभिन्न शासकीय शालाओं के प्राचार्य/प्रधानपाठक को अधिकृत किया गया है । शासन द्वारा इस वित्तीय सत्र से अनुसूचित जाति की छात्रवृत्तियां एक किश्त में छात्र-छात्राओं को भुगतान के निर्देश दिये गये हैं । इन छात्रवृत्तियों में शाला स्तर से आवेदन पत्रों /स्वीकृतियों का प्रसारण किया जाता है तदपरान्त विभाग द्वारा स्वीकृति अनुसार राशि नोडल अधिकारी के माध्यम से वितरण कराई जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare nar@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

—13—

अभिलेख का नाम :- मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
प्रकार

अभिलेख का

विनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगो को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 1976-77 एवं 1995 से लागू की गई । तथा पिछड़ा वर्ग के लोगो के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1988-89 जुलाई 1988 से लागू की गई । उक्त योजना में इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में छात्रावास में रहने वाले एवं छात्रावास में न रहने वाले वर्गों को पृथक-पृथक दर से पृथक-पृथक वर्ष में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इसके साथ ही निर्वाह भत्ता एवं फीस भी प्रदान की जाती है । इस छात्रवृत्ति अंतर्गत आय वर्ग का बंधन रखा गया है । इस योजना को भी जिला स्तर पर सम्पूर्ण बैंक माध्यम से संचालित किया जाता है । आवेदन प्रक्रिया संबंधित संस्थाओं के माध्यम से सम्पन्न होती है एवं शसकीय संस्थाओं के प्राचार्यों को स्वीकृति जारी करने के वित्तीय अधिकार दिये गये इसी स्वीकृति के अनुरूप विभाग द्वारा राशि प्रदान की जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते है

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कर्मांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfarenar@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

—14—

अभिलेख का नाम :- प्रावीण्य उन्नयन योजना निर्देश
का प्रकार

अभिलेख

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा राज्य छात्रवृत्ति प्रावीण्य नियम 1984 लागू शैक्षणिक सत्र-1984-85 से लागू किये गये है । इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा वर्ष 1999 में इस योजना के नियम प्रसारित किये गये । इस योजना में अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना संचालित है । इस योजना में मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्था का नियमित विद्यार्थी, कक्षा 5वीं से 12 वीं तक अध्ययनरत प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने वाला तथा म.प्र.का मूल निवासी की शर्तें पात्रता हेतु निश्चित है ।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा उत्कृष्टता संस्थान योजना नियम 2001 जो 1.7.2001 से प्रभावशील है, लागू किये गये । इस योजना में अनुसूचित जाति,जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा देने एवं विशेष कोचिंग के माध्यम से प्रावीण्य को बढ़ाने उद्देश्य से यह नियम बनाये गये है । यह योजना केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए ही सीमित रखी गई है । इन संस्थानों में प्रवेश हेतु मेरिट एवं योग्यता जांच परीक्षा के आधार पर बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक के 60 प्रतिशत एवं योग्यता जांच परीक्षा के 40 प्रतिशत अंक जोड़कर मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है । इन संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग का म.प्र.का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

-15-

अभिलेख का नाम :- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना निर्देश
प्रकार

अभिलेख का

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में महिला साक्षरता 5 प्रतिशत से कम होने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की गई । इस योजना में कन्याओं को कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण कर 6वीं में प्रवेश करने पर प्रति कन्या 500/- रु.,कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर 9वीं में प्रवेश करने पर 1000/-रु. एवं कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वीं प्रवेश करने पर 2000/-रु.प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है । उक्त प्रोत्साहन राशि की पात्रता केवल उन छात्राओं को होगी, जिनके पालक/अभिभावक आयकरदाता नहीं है तथा जिन छात्राओं को मनीषा योजना में साइकिल का प्रदाय होगा उन्हे यह राशि नहीं दी जावेगी । अनुसूचित जाति की कन्याओं को यह प्रोत्साहन राशि माह सितम्बर में एक किस्त में एवं अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को सितम्बर में पहली किस्त एवं जनवरी में द्वितीय किस्त से भुगतान होगा। उक्त योजना की स्वीकृति राज्य छात्रवृत्ति के अनुसार शाला प्रमुख के द्वारा ही की जावेगी ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते है

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

—16—

अभिलेख का नाम :- विद्यार्थी कल्याण सहायता निर्देश

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम 1984 से लागू किये गये हैं । इस योजना में विद्यार्थियों को अध्ययन में रुकावट न हो इस हेतु आकस्मिक विपत्ति में सहायता,विशेष रोग से पीड़ित होने पर सहायता, विद्यार्थी की विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु सहायता, लोक नृत्य, लोकगीत आदि के प्रदर्शन में भाग लेने हेतु सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को शासकीय अथवा मान्य प्राप्त शिक्षण संस्था का कक्षा 6 से 11 अथवा मेट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना अनिवार्य है तथा उसके पालक/पिता की आय 1000/-रु. मासिक से अधिक न हो । इस योजना में शाला प्रमुख की अनुशंसा अनिवार्य होगी । इस योजना में 50/- से 500/- तक की सहायता प्रदान की जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष कमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfareinar@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

—17—

अभिलेख का नाम :- अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुदान निर्देश
का प्रकार

अभिलेख

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985 से लागू किये गये हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान संबंधी गतिधियों में संलग्न संस्थाओं को अनुरक्षण एवं व्यवस्था हेतु, भवन निर्माण, भवन मरम्मत, जीर्णोधार, शिष्यवृत्ति, उपकरण अनुदान, के रूप में सहायता दी जाती है। उक्त सहायता म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44-1973) के अधीन पंजीवद्ध अशासकीय संस्थाओं को ही अनुदान दिया जाता है। जिले में हरिजन सेंवक संघ द्वारा संचालित प्री.मे.अस्वच्छ धंधा बालक छात्रावास नरसिंहपुर के संचालन हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष क्रमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फैक्स-230307

ई-मेल- twelfare@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

—18—

अभिलेख का नाम :- बालिकाओं को गणवेश प्रदाय योजना निर्देश
प्रकार

अभिलेख का

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा 2004-05 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक गणवेश का प्रदाय किया जाता है। इस योजना में पालक शिक्षक संघ की सहभागिता से प्रति छात्रा 90/- का अनुदान दिया जाता है। पालक शिक्षक संघ द्वारा अपने स्तर से गणवेश क्रय की जाकर छात्राओं को प्रदान की जाती है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

जिला संयोजक आदिम
जाति कल्याण कक्ष क्रमांक
-22 नरसिंह भवन नरसिंहपुर

दूरभाष-230307- कार्यालय

फेक्स-230307

ई-मेल- twelfare nar@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अध्याय – 5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यन्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गई व्यवस्था का विवरण

5.1 नीति निर्धारण हेतु जनता या जनप्रतिनिधि का परामर्श/भागीदारी का प्रावधान:- विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में नीति का निर्धारण शासन के द्वारा किया गया है। अतएव इस हेतु जनता/जनप्रतिनिधि की भागीदारी का प्रावधान नहीं है।

5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु जनता/जनप्रतिनिधि से परामर्श /भागीदारी का प्रावधान है :-

क्र.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17(2) अनुसार गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिट्रिंग समिति	हां	म.प्र.शासन के निर्देशानुसार जिला स्तर पर अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17(2) अनुसार जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिट्रिंग समिति का गठन किया जाता है। जिसमें सांसद/विधायक,पुलिस अधीक्षक,5 गैर सरकारी सदस्य, 03 गैर सरकारी संगठन, सदस्य है। जिला मजिस्ट्रेट उक्त समिति के अध्यक्ष एवं जिला संयोजक इसके सचिव है।

अध्याय – 6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण
6.1 विभाग के समस्त अभिलेख जिला स्तर पर जिला संयोजक कार्यालय में संधारित किये जाते हैं जो शाखावार निम्नानुसार है :-

क	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/ नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	लेखा शाखा	विभागीय आवंटन एवं व्यय का बजट तैयार करना, मासिक व्यय पत्रक तैयार करना, व्यय पर नियंत्रण, महालेखाकार को व्यय समाधान, जिला योजना का बजट तैयार करना, अनाज,यात्रा,त्योहार,चिकित्सा, अग्रिमों की स्वीकृति, आकस्मिक व्यय,एवं यात्रा देयकों की स्वीकृति,देयक शाखा पर नियंत्रण ।	शासन निर्देश अनुसार	जिला संयोजक
	आडिटशाखा	महालेखाकार एवं विभागीय आडिट के बिन्दुओं का उत्तर देना एवं उनके आदेशों अनुपालन करना ।	शासन निर्देश अनुसार	जिला संयोजक
	स्थापना शाखा	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत अभिलेखों का संधारण,भविष्य निधि अग्रिम,आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति देना , सेवा निवृत्ति पेंशन, अवकाश,वेतन वृद्धि की स्वीकृति देना, अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण ,कर्मचारियों लघु शास्ति,दीर्घ शास्ति,निलंबन,बहाली,विभागीय जांच का संधारण, बरिष्ठता सूची का प्रकाशन विभागीय निरीक्षण का अनुपालन करना ।	शासन निर्देश अनुसार	
4	देयक शाखा	विभागीय कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य स्वत्वों के देयक, अन्य आकस्मिक,योजना विषयक देयक तैयार करना,कर्मचारियों की पासवुक का संधारण, विभिन्न अग्रिमों की पंजी का संधारण, विभागीय कैशवुक, विलवुक, चैक पंजी, एवं समस्त देयकों का रखरखाव ।	शासन निर्देश अनुसार	जिला संयोजक

5	छात्रावास / आश्रम शाखा	विभागीय संस्थाओं में प्रवेश की स्वीकृति देना, एवं स्वीकृति के अनुसार शिष्यवृत्ति का भुगतान करना, भुगतान राशि का समायोजन करना, शिष्यवृत्ति बैंक खातों का संधारण करना।	शासन निर्देश अनुसार	जिला संयोजक
6	छात्रवृत्ति शाखा	विभागीय छात्रवृत्तियों की स्वीकृति प्राप्त करना, स्वीकृति अनुसार राशि का आहरण एवं संस्थाओं को भुगतान संस्थाओं से प्राप्त भुगतान देयकों का समायोजन, छात्रवृत्ति संबंधी शिकायतों का निराकरण, स्वीकृति भुगतान एवं समायोजन पंजी का संधारण, बैंक खाते का संधारण।	शासन निर्देश अनुसार	जिला संयोजक
7	निर्माण शाखा	विभागीय भवनों के रखरखाव, निर्माण कार्य, लघुनिर्माण कार्य, साज-सज्जा, के कार्यों की स्वीकृति, आवंटन का आहरण, पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण विभागीय भवन पंजी का संधारण।	शासन निर्देश अनुसार	जिला संयोजक
8	अत्याचार निवारण राहत शाखा	अत्याचार निवारण अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर स्वीकृति, आवंटन आहरण एवं भुगतान, अत्याचार पीड़ितों के परिवार को अन्य सुविधाओं विषयक कार्यवाही करना, सदभवना शिविर, जनजागृति शिविरों का आयोजन।	शासन निर्देश अनुसार	जिला संयोजक
9	अन्य योजनायें	अन्य योजनाओं अंतर्गत प्राप्त आवंटन, अनुसार प्रस्ताव एवं आवेदन प्राप्त करना, स्वीकृति प्रसारित करना भुगतान करना, योजना विषयक पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण, शिकायत एवं अन्य आवेदनों पर कार्यवाही करना।	शासन निर्देश अनुसार	जिला संयोजक

अध्याय – 7 (मैनुअल-6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

- 7.1 म.प्र.शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के नियम 17(2) के अंतर्गत कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश क्रमांक 459 दिनांक 13.2.04 के द्वारा जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिट्रिंग समिति का गठन 5 वर्षों के लिए किया गया है।
- 0 **समिति का नाम:— जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिट्रिंग समिति**
- 0 **संक्षिप्त परिचय:—** शासन निर्देशानुसार आदेश क्रमांक 459 दिनांक 13.2.04 के द्वारा 5 वर्षों हेतु उक्त समिति का गठन किया गया है। अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत पुर्नवास सुविधायें तथा उससे संबद्ध मामलों, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के पुर्नविलोकन के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है।
- 0 **समिति की भूमिका:—** परामर्शदात्री
- 0 **स्वरूप से वर्तमान सदस्य:—** वर्तमान में कार्यरत समिति में सांसद/विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी संगठन, के व्यक्ति सदस्य है। इस समिति के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला संयोजक है।
- 0 **मुख्य अधिकारी का नाम:—** वर्तमान में उक्त समिति के अध्यक्ष श्री मनीष रस्तौगी कलेक्टर नरसिंहपुर एवं सचिव श्री राजेश सिंगरोरे प्रभारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर है।
- 0 **मुख्य कार्यालय का पता:—** कलेक्टर कार्यालय नरसिंह भवन कक्ष क्रमांक 22 नरसिंहपुर
- 0 **बैठक की आवृत्ति:—** शासन निर्देशानुसार प्रत्येक 3 माह में उक्त समिति की बैठक होती है।
- 0 **बैठक में जनता की भागीदारी:—** शासन निर्देशानुसार समिति की बैठक में माननीय सदस्य भाग लेते हैं।
- 0 **बैठक का कार्यवृत्त:—** त्रैमास में उल्लेखित अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों पर तैयार रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है।
- 0 **जनता को कार्यवृत्त की प्राप्ति:—** त्रैमासिक बैठक का कार्यवाही विवरण सम्मानीय सदस्यों एवं शासन के प्रेषित किया जाता है।

अध्याय – 8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम ,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 जिला स्तर पर गठित लोक प्राधिकरण :-

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री राजेश सिंगरोरे	क्षेत्र संयोजक	07792	230307	231898	230307	twelfarenar@mp. nic.in	नरसिंह भवन कक्ष क्रमांक -19 नरसिंहपुर

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री राजेश सिंगरोरे	प्रभारी जिला संयोजक	07792	230307	231898	230307	twelfarenar@mp. nic.in	नरसिंह भवन कक्ष क्रमांक -22 नरसिंहपुर

विभागीय अपीलेट अथोरिटी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री आशकृत तिवारी	अपर कलेक्टर	07792	232150	232151	0	0	नरसिंह भवन कक्ष क्रमांक-6 नरसिंहपुर

अध्याय – 9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए विभागीय कार्य प्रणाली अनुसार सहायकों से प्रस्तुत नस्तियों पर कार्यालय प्रमुख, प्रभारी अधिकारी, कलेक्टर के द्वारा निर्णय लिये जाते हैं ।
- 9.2 विभागीय समस्त विषयों पर विभागीय नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कार्यालय प्रमुख की हैसियत से जिला संयोजक, तदपरांत प्रभारी अधिकारी एवं कलेक्टर स्तर पर विचार किया जाता है ।
- 9.3 विषय पर लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का माध्यम अपनाया जाता है ।
- 9.4 कार्यालयीन विषयों पर निर्णय लेने के लिए कार्यालय प्रमुख, प्रभारी अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा संस्तुति निर्णय लिये जाते हैं ।
- 9.5 विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख एवं कलेक्टर द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाते हैं ।

9.6

क्र.सं.	—
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	समस्त विभागीय योजना /कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
दिशा-निर्देश(यदि हो तो)	विभागीय योजना नियम अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	कार्यालय सहायक द्वारा नस्ती का प्रस्तुतीकरण
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	जिला संयोजक, प्रभारी अधिकारी, कलेक्टर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों को सम्पर्क सूचना	नरसिंह भवन कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	कार्यालय प्रमुख के निर्णय पर प्रभारी अधिकारी से अपील प्रभारी अधिकारी के निर्णय पर कलेक्टर से अपील कलेक्टर के निर्णय पर विभागाध्यक्ष से अपील

अध्याय – 10(मैनुअल-9)
कार्यालयीन अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री राजेश सिंह सिंगरोरे	क्षेत्रसंयोजक	07792	230307	9425003 479	230307	trival@ nic.in	सी.एस.तिवारी कालोनी नरसिंहपुर
2	श्री सुनील दुबे	मं.संयोजक	07792	230307	—	—	—	मु.पो.साईखेड़ा मुख्यालय गाडरवारा
3	श्री आर.बी.पाराशर	मं.संयोजक	07792	230307	9425468 357	—	—	मु.पो.निवारी मुख्यालय नरसिंहपुर
4	श्री बी.पी.शर्मा	क.ले.अ.	07792	230307	—	—	—	गंगानगर जबलपुर मुख्यालय नरसिंहपुर
5	रमेश तिवारी	लेखापाल	07792	230307	231311	—	—	एच-33 सिविल लाईन नरसिंहपुर
6	श्री आर डी मेंहरा	लेखापाल	07792	230307	9425188 523	—	—	प्रताप नगर नरसिंहपुर
7	श्रीमति प्रतिभा विनोदे	लेखापाल	07792	230307	231842	—	—	एच-19 सिविल लाईन नरसिंहपुर
8	श्रीमति आशा श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-2	07792	230307	230110	—	—	चरहाई कंदेली नरसिंहपुर
9	श्री राजेन्द्र दुबे	सहा.ग्रेड-2	07792	230307	231382	—	—	हाउसिंग बोर्ड कालोनी नरसिंहपुर
10	श्री संतोष कौरव	सहा.ग्रेड-2	07792	230307	9826459 071	—	—	एच-7 सिविल लाईन नरसिंहपुर
11	श्री गोपीप्रसाद अहिरवार	सहा.ग्रेड-2	07792	230307	231918	—	—	झिरना के पास नरसिंहपुर
12	श्री मुन्नालाल चौधरी	सहा.ग्रेड-2	07792	230307	230747	—	—	प्रताप नगर नरसिंहपुर
13	श्री अनूप तिवारी	सहा.ग्रेड-3	07792	230307	—	—	—	एच-23 सिविल लाईन नरसिंहपुर
14	श्री खारक सिंह विश्वकर्मा	सहा.ग्रेड-3	07792	230307	9425170 350	—	—	यादव कालोनी नरसिंहपुर
15	श्री शरद श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-3	07793	230307	271562	—	—	शंकराचार्यवाड नरसिंहपुर
16	श्री राहुलदेव उमरे	सहा.ग्रेड-3	07792	230307	—	—	—	इंदिरा वार्ड नरसिंहपुर
17	श्री हाकमसिंह ठाकुर	भृत्य	07792	230307	—	—	—	तिदनी रोड नरसिंहपुर
18	रामसेवक काछी	भृत्य	07792	230307	—	—	—	पाठक वार्ड नरसिंहपुर
19	श्री राजेश खाण्डे	भृत्य	07792	230307	—	—	—	पटैल वार्ड नरसिंहपुर

संस्थाओं के कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1

क.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्या	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अनु.जनजाति संस्थायें							
	श्रीमति कलावती ठाकुर	अधीक्षक	—	—	—	—	—	एम.एल.बी के पीछे नरसिंहपुर
	श्री बसंत बरकडे	अधीक्षक	—	—	—	—	—	मंगवानी
	श्री श्यामलाल मेहरा	अधीक्षक	—	—	—	—	—	बरहटा
	श्रीमति मृदुलता पटैल	अधीक्षक	—	—	—	—	—	भैसापाला
	श्री सुम्मेर सिंह ठाकुर	अधीक्षक	—	—	—	—	—	बिलहरा
	श्री किशोरभानू शाह	अधीक्षक	—	—	—	—	—	तेन्दूखेड़ा
	श्री मंगलसिंह ठाकुर	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गोटीटोरिया
	श्री होरीलाल मेहरा	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गोटेगांव
	श्री सुनील धुर्वे	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गोरखपुर
	श्री के.पी.वेलवंशी	अधीक्षक	—	—	—	—	—	चीचली
	श्री डीलेन्द्र शाह	अधीक्षक	—	—	—	—	—	बचई
	श्रीमति श्रीवाई नेमा	उ.श्रे.शि.	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्रीमति साधना तिवारी	सहा.शि.	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्री कुन्दनसिंह उइके	सहा.शि.	—	—	—	—	—	भैसापाला
	श्रीमति हेमलता उइके	सहा.शि.	—	—	—	—	—	भैसापाला
	श्री इन्द्राज उइके	उ.श्रे.शि.	—	—	—	—	—	गोटेगांव
	श्री नारायण पटैल	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गंदरई
	श्री बलराम चडार	सहा.शि.	—	—	—	—	—	सूरवारी
	श्री गोविन्दनारायण श्रीवास्तव	सहा.शि.	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्री आर.पी.डेहरिया	अधीक्षक	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्री आर.डी.चौपरा	सहा.शि.	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्री लालसिंह मेहरा	सहा.शि.	—	—	—	—	—	अंडिया
	अनुसूचित जाति संस्थायें							
	श्री कुंवरलाल ठाकुर	अधीक्षक	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्रीमति राजकुमारी पटैल	अधीक्षक	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्री डोरीलाल ठाकुर	अधीक्षक	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्री कामेश मेहरा	अधीक्षक	—	—	—	—	—	वरमान
	श्री कमलसिंह मेहरा	अधीक्षक	—	—	—	—	—	सालेचौका
	श्री रामशंकर ठाकुर	अधीक्षक	—	—	—	—	—	स्टेशन के पास गाडरवारा
	श्री नारायण सिंह ठाकुर	अधीक्षक	—	—	—	—	—	तेन्दूखेड़ा
	श्री राजेन्द्र कतिया	अधीक्षक	—	—	—	—	—	बोहानी
	श्री हिम्मतसिंह कनेरा	अधीक्षक	—	—	—	—	—	खुलरी
	श्री नंदराम डेहरिया	अधीक्षक	—	—	—	—	—	डोभी
	श्री एस.एल.कोरी	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गाडरवारा
	श्री धेलाराम चौधरी	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गोटेगांव / डांगीढाना
	श्री टेकचंद कोरी	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गाडरवारा
	श्रीमति प्रभावती मेहरा	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गाडरवारा
	श्री शोभाराम दौहैया	अधीक्षक	—	—	—	—	—	गोटेगांव
	श्रीमति पार्वती कतिया	अधीक्षक	—	—	—	—	—	कुम्हड़ाखेड़ागोटेगांव
	श्री के.एस.चंदोलिया	अधीक्षक	—	—	—	—	—	करेली
	श्री अम्बरीश शर्मा	अधीक्षक	—	—	—	—	—	हाउसिंग बोर्ड नरसिंहपुर
	श्रीमति मीना जोसफ	अधीक्षक	—	—	—	—	—	लालमहल नरसिंहपुर
	श्री आर.एस.नागेश	अधीक्षक	—	—	—	—	—	श्रीनगर
	श्रीमति तुलसा धुर्वे	सहा.शि.	—	—	—	—	—	नरसिंहपुर
	श्रीमति साधना नेमा	उ.श्रे.शि.	—	—	—	—	—	गोटेगांव
	श्रीमति चन्द्रमुखी खेमरिया	सहा.शि.	—	—	—	—	—	गोटेगांव
	श्रीमति बबीता नायक	सहा.शि.	—	—	—	—	—	गोटेगांव

अध्याय – 11 (मैनुअल –10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1

क्रं	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक (नेट)	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश सिंह सिंगरोरे	क्षेत्रसंयोजक	9790	—	वित्त विभाग के निर्देशानुसार मासिक रूप से देय
2	श्री सुनील दुबे	मं.संयोजक	8222	—	
3	श्री आर.बी.पाराशर	मं.संयोजक	8225	—	
4	श्री बी.पी.शर्मा	क.ले.अ.	7881	—	
5	श्री रमेश तिवारी	लेखापाल	7925	—	
6	श्री आर डी मेंहरा	लेखापाल	7910	—	
7	श्रीमति प्रतिभा विनोदे	लेखापाल	6104	—	
8	श्रीमति आशा श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-2	6076	—	
9	श्री राजेन्द्र दुबे	सहा.ग्रेड-2	6570	—	
10	श्री संतोष कौरव	सहा.ग्रेड-2	6180	—	
11	श्री गोपीप्रसाद अहिरवार	सहा.ग्रेड-2	5375	—	
12	श्री मुन्नालाल चौधरी	सहा.ग्रेड-2	5375	—	
13	श्री अनूप तिवारी	सहा.ग्रेड-3	4596	—	
14	श्री खारक सिंह विश्वकर्मा	सहा.ग्रेड-3	3995	—	
15	श्री शरद श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-3	3929	—	
16	श्री राहुलदेव उमरे	सहा.ग्रेड-3	3357	—	
17	श्री हाकमसिंह ठाकुर	भृत्य	3951	—	
18	रामसेवक काछी	भृत्य	3681	—	
19	श्री राजेश खाण्डे	भृत्य	3471	—	

11.1 अधीनस्त संस्थाओं के कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्रं	नाम	पदनाम	मासिकपारिश्रमिक (नेट)	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	2	3	4	5	6
1	अनु.जनजाति संस्थार्ये				वित्त विभाग के निर्देशानुसार मासिक रूप से देय
2	श्रीमति कलावती ठाकुर	अधीक्षक	6673	—	
3	श्री बसंत बरकडे	अधीक्षक	7807	—	
4	श्री श्यामलाल मेहरा	अधीक्षक	6612	—	
5	श्रीमति मृदुलता पटेल	अधीक्षक	8540	—	
6	श्री सुम्मेर सिंह ठाकुर	अधीक्षक	6486	—	
7	श्री किशोरभानू शाह	अधीक्षक	5467	—	
8	श्री मंगलसिंह ठाकुर	अधीक्षक	6567	—	
9	श्री होरीलाल मेहरा	अधीक्षक	6957	—	
10	श्री सुनील धुर्वे	अधीक्षक	5652	—	
11	श्री के.पी.वेलवंशी	अधीक्षक	7792	—	
12	श्री डीलेन्द्र शाह	अधीक्षक	7691	—	
13	श्रीमति श्रीवाई नेमा	उ.श्रे.शि.	9385	—	
14	श्रीमति साधना तिवारी	सहा.शि.	8068	—	
15	श्री कृन्दनसिंह उइके	सहा.शि.	6107	—	
16	श्रीमति हेमलता उइके	सहा.शि.	6577	—	
17	श्री इन्द्राज उइके	उ.श्रे.शि.	9994	—	
18	श्री नारायण पटेल	अधीक्षक	10270	—	
19	श्री बलराम चडार	सहा.शि.	6456	—	
20	श्री गोविन्दनारायण श्रीवास्तव	सहा.शि.	8304	—	
21	श्री आर.पी.डेहरिया	अधीक्षक	9258	—	
22	श्री आर.डी.चौपरा	सहा.शि.	10303	—	
23	श्री लालसिंह मेहरा	सहा.शि.	6802	—	
24	अनुसूचित जाति संस्थार्ये			—	
25	श्री कुंवरलाल ठाकुर	अधीक्षक	7950	—	
26	श्रीमति राजकुमारी पटेल	अधीक्षक	0	—	
26	श्री डोरीलाल ठाकुर	अधीक्षक	6420	—	
27	श्री कामेश मेहरा	अधीक्षक	6152	—	
28	श्री कमलसिंह मेहरा	अधीक्षक	6113	—	
29	श्री रामशंकर ठाकुर	अधीक्षक	7195	—	
30	श्री नारायण सिंह ठाकुर	अधीक्षक	6598	—	
31	श्री राजेन्द्र कतिया	अधीक्षक	7614	—	
32	श्री हिम्मतसिंह कनेरा	अधीक्षक	8649	—	
33	श्री नंदराम डेहरिया	अधीक्षक	9757	—	
34	श्री एस.एल.कोरी	अधीक्षक	9757	—	
35	श्री धेलाराम चौधरी	अधीक्षक	8677	—	
36	श्री टेकचंद कोरी	अधीक्षक	7304	—	
37	श्रीमति प्रभावती मेहरा	अधीक्षक	8340	—	
38	श्री शोभाराम दौहैया	अधीक्षक	9754	—	
39	श्रीमति पार्वती कतिया	अधीक्षक	7638	—	
40	श्री के.एस.चंदोलिया	अधीक्षक	8135	—	
41	श्रीमति मीना जोसफ	अधीक्षक	8677	—	
42	श्री आर.एस.नागेश	अधीक्षक	8930	—	
43	श्रीमति तुलसा धुर्वे	सहा.शि.	7459	—	
44	श्रीमति साधना नेमा	उ.श्रे.शि.	8677	—	
45	श्रीमति चन्द्रमुखी खेमरिया	सहा.शि.	8073	—	
46	श्रीमति बवीता नायक	सहा.शि.	6839	—	

अध्याय – 12 (मैनुअल –11)
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

12.1 निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए :-

वर्ष 2004-2005 :-

क्रं.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृति बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निरंक									

12.1 अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए :-
वर्ष 2004-2005

क्रं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृति बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय
1	2	3	4	8	9
	अनुसूचित जनजाति योजनायें				
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	7.326	7.326	7.326	7.326
2	राज्य छात्रवृत्ति	13.23	13.23	13.23	13.23
3	प्राथमिक स्तर कन्या छात्रवृत्ति	14.18	14.18	14.18	14.18
4	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	0.03	0.03	0.03	0.03
5	अत्या.नि.सहा./पुर्नवास	6.00	6.00	6.00	3.00
6	सामान्य राहत योजना	0.09	0.09	0.09	0.06
7	सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन	2.40	2.40	2.40	1.40
8	छात्रावास निर्माण	13.16	13.16	13.16	13.16
9	आश्रमशाला भवन निर्माण	24.14	24.14	24.14	24.14
10	विद्यार्थी कल्याण	0.08	0.08	0.08	0.04
11	कन्या शि.प्रोत्साहन 6वीं	5.00	5.00	5.00	5.00
12	कन्या शि.प्रोत्साहन 9वीं	1.51	1.51	1.51	1.51
13	कन्या शि.प्रोत्साहन 11वीं	0.75	0.75	0.75	0.66
14	निःशुल्क गणवेश का प्रदाय	10.81	10.81	10.81	10.81

(2)

12.1

क्रं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृति बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्लों में)	कुल व्यय
1	2	3	4	8	9
	अनुसूचित जाति योजनायें				
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	52.43	52.43	52.43	35.50
2	राज्य छात्रवृत्ति	34.60	34.60	34.60	34.60
3	प्राथमिक स्तर कन्या छात्रवृत्ति	22.00	22.00	22.00	18.00
4	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	0.09	0.09	0.09	0.036
5	अस्वच्छ धधा छात्रवृत्ति	5.50	5.50	5.50	4.00
6	विद्यार्थी कल्याण	0.13	0.13	0.13	0.04
7	कन्या शि.प्रोत्साहन 6वीं	7.13	7.13	7.13	7.13
8	कन्या शि.प्रोत्साहन 9वीं	4.67	4.67	4.67	4.67
9	कन्या शि.प्रोत्साहन 11वीं	2.86	2.86	2.86	2.63
10	ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान	1.40	1.40	1.40	1.40
11	विधि स्नातकों को सहायता	0.024	0.024	0.024	0.024
12	अत्या.निवा.सहायता / पुर्नवास	11.345	11.345	11.345	6.284
13	जागृति शिविर	0.20	0.20	0.20	0.20
14	सामान्य राहत	1.80	1.80	1.80	0.52
15	सिविल सेवा अनुदान	2.20	2.20	2.20	2.20
16	बालिकाओं को गणवेश	13.68	13.68	13.68	13.68
17	संस्थाओं में पेयजल व्यवस्था	9.29	9.29	9.29	9.29
18	चौकीदार आवास गृह निर्माण	10.40	10.40	10.40	10.40
19	अधीक्षक आवास गृह निर्माण	17.40	17.40	17.40	17.40
20	बाउण्ड्रीवाल निर्माण	7.50	7.50	7.50	7.50
21	अनु.जाति बस्ती सघन विकास	17.70	17.70	17.70	17.70
22	अस्व.धंधा व्यवसायीकरण	2.00	2.00	2.00	2.00
23	भवनों का उन्नयन	11.14	11.14	11.14	11.14
24	आश्रम छात्रावास लघु निर्माण	13.78	13.78	13.78	13.78
25	कन्या सौभाग्यवती विवाह	1.75	1.75	1.75	0.65
26	एक बत्ती कनेक्शन	11.97	11.97	11.97	11.97
27	मजरा टोला विद्युतीकरण	15.13	15.13	15.13	15.13
28	कुओं पंपों का उर्जाकरण	4.64	4.64	4.64	4.64
29	उत्कृष्ट छात्रा.अतिरिक्त कक्ष निर्माण	3.30	3.30	3.30	3.30
30	ग्राम पंचायत पुरुषकार	0.05	0.05	0.05	0.05
31	सदभावना शिविर	0.40	0.40	0.40	0.25
32	अंतर्जातीयविवाह	0.30	0.30	0.30	0.20
33	स्थानीय दाई प्रोत्साहन	0.066	0.066	0.066	0.035
	पिछड़ा वर्ग योजनायें				
1	पो.मे.छात्रवृत्ति	23.00	23.00	23.00	23.00
2	राज्य छात्रवृत्ति	46.00	46.00	46.00	46.00
3	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	0.045	0.045	0.045	0.04
4	परिचय पत्रप्रदाय	0.99	0.99	0.99	0.25
5	सिविल सेवा अनुदान	0.50	0.50	0.50	0.50
	योग :- अनु.ज.जा./अ.जा./पि. वर्ग	456.116	456.116	456.116	420.685

अध्याय – 13 मैनुअल

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1

0 कार्यक्रम / योजना का नाम:— अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत राहत

सहायता

0कार्यक्रम /योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :— वित्तीय वर्ष

0 कार्यक्रम का उद्देश्य:— सवर्णों द्वारा अनुसूचित जाति,जनजाति के लोगों पर अत्याचार की दशा में राहत सहायता उपलब्ध कराना

0लाभार्थी को पात्रता :— उक्त अधिनियम अंतर्गत चालान प्रस्तुत होने पर

0पूर्वापेक्षायें :— पुलिस विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही का सम्पादन

0अनुदान सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:—चालान प्रस्तुत होने की सूचना प्राप्ति पर जिला कार्यालय द्वारा

स्वीकृति की जाकर हितग्राही को भुगतान किया जाता है ।

0 पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड:— चालान का प्रस्तुतीकरण एवं विभिन्न धाराओं के अंतर्गत

0दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण :—अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न धाराओं में

नियमानुसार अनुदान राशि की स्वीकृति दी जाती है ।

0 अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया:—10000/-तक की सहायता बैंक चैक के माध्यम से एवं इससे अधिक राशि का वितरण एफ.डी.बनाकर किया जाता है ।

0 आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें :— जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर

0आवेदन शुल्क:— कोई शुल्क वांछित नहीं ।

0अन्य शुल्क:— कोई शुल्क बांछित नहीं ।

0आवेदन का प्रारूप:—उक्त योजना में आवेदन की आवश्यकता नहीं है ।

0संलग्नकों की सूची:— निरंक

0संलग्नकों का प्रारूप—निरंक

0प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें:— जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर

0उपलब्ध धनराशि का विवरण:—जिला स्तर पर आवंटन प्राप्त होता है ।

13.1

अत्याचार अधिनियम अंतर्गत अनु.जाति/जनजाति के लाभार्थियों की सूची 2004-05

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्लिदयत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म. नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमति रामाबाई उर्फ रेखाबाई	3750	पति बालक दास मेहरा	अत्या.निवा. अधि. अंतर्गत	नरसिंहपुर		सलगापुर	
2	कु.सविताबाई	25000	परसराम गोड़	---	---	--	लोकीपार	
3	श्रीमति खेमवतीबाई	25000	वेवा रमेश चौधरी	---	---	--	सलैया	
4	कु.संगीताबाई	2500	बलराम चौधरी	---	---	--	इमलिया	
5	श्रीमति सविताबाई	2500	पति प्रेमलाल गौड़	---	---	--	बसंड़ी (जिनौर)	
6	कु.रेखाबाई	2500	हल्केभैया गोड़	---	---	--	सूखाखेरी	
7	रामकुमार	3750	तीरथप्रसाद चौधरी	---	---	--	रामपिपरिया	
8	शिवकुमार	3750	तीरथप्रसाद चौधरी	---	---	--	रामपिपरिया	
9	मानसिंह	3750	सूरतसिंह चौधरी	---	---	--	रामपिपरिया	
10	कु.बालिका बाई	2500	अन्नीलाल चौधरी	---	---	--	तिलकवाड़	
11	श्रीमति कौशल्याबाई	50000	गोलू पारधी	---	---	--	सहावनटोला	
12	कु.मीनाबाई	50000	रेवाशंकर मिर्धा	---	---	गाडरवारा	शास्त्रीवाड़	
13	श्रीमति सिवकाबाई	2500	पति श्यामलाल ओझा	---	---	--	चोर बरहटा	
14	श्री प्रेमलाल	3750	किल्लू जाटव	---	---	नरसिंहपुर	झिरना	
15	श्रीमति दुलारीबाई	2500	पति हल्के गाड़	---	---	--	डुगरिया	
16	श्रीमति ममताबाई	25000	पति भैयालाल गोड़	---	---	--	खेरीकला	
17	श्री हल्के उर्फ रामस्वरूप	50000	रामदयाल चौधरी	अत्या.निवा. अधि. अंतर्गत	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	झिरना	
18	कु.विनीता	25000	रमेश मेहरा	---	---	--	डुगरिया	
19	माखनलाल	50000	मोहनलाल मेहरा	---	---	--	बगदरा	
20	राजेन्द्र	3750	लालगोविन्द राजगौड़	---	---	--	दहलवाड़ा	
21	राजाभैया	50000	लालकोमल राजगौड़	---	---	--	दहलवाड़ा	
22	श्री किरन	30000	लालकोमल राजगौड़	---	---	--	दहलवाड़ा	
23	संतोष	3750	कढ़ोरी चौधरी	---	---	--	दहलवाड़ा	
24	श्रीमति नीतूबाई	2500	पति रघुनाथ मेहरा	---	---	--	सिल्हेटी	
25	श्री भगवत	3750	राधेलाल चौधरी	---	---	--	महुआखेड़ा	
26	श्रीमति सुमनबाई	3750	पति भगत चौधरी	---	---	--	महुआखेड़ा	
27	कु.बिनी उर्फ कमला	25000	बुद्धसिंह गोड़	---	---	--	गगनवाड़ा	
28	श्रीमति दशोदाबाई	2500	पति हेमन्तसिंह चौधरी	---	---	--	देवनगर	
29	श्रीमति नवियाबाई	6250	पति धरमदास चौधरी	---	---	--	पीपरपानी	
30	धरमदास	6250	धन्नु चौधरी	---	---	--	पीपरपानी	
31	श्रीमति चिरोजाबाई	2500	पति मंगलसिंह झारिया	---	---	--	झांसीघाट	
32	ममताबाई	2500	पति मोहनलाल चौधरी	---	---	--	छिदौर	
33	कु.पूजाबाई	25000	हीरालाल मेहतर	---	---	--	पिपरिया खुर्द	
34	ज्ञानी	2500	उमेद चौधरी	---	---	--	महुआखेड़ा	
35	पप्पू	2500	हीरालाल बसौर	---	---	--	बारहाबड़ा	
36	भैयालाल	2500	गुलाब चौधरी	---	---	--	रम्पुरा	
37	श्रीमति नीमाबाई	2500	पति भीकमसिंह चौधरी	---	---	--	मेख	
38	मूलचंद	6250	गरीबदास अहिरवार	---	---	--	चीचली	
39	माखनलाल	5000	हरकरन चौधरी	---	---	--	आमगांवछोटा	

40	गुडडीबाई	2500	पति सुखदीन	---	---	---	आमगांवछोटा
41	रघुवर	2500	रामरतन चौधरी	---	---	---	आमगांवछोटा
42	सुरेश	2500	रामलाल चौधरी	---	---	---	आमगांवछोटा
43	कु.सुनीता	2500	सुखदीन चौधरी	---	---	---	आमगांवछोटा
44	हरकरण	2500	खिम्मा चौधरी	---	---	---	आमगांवछोटा
45	राजाराम	5000	पन्नालाल चौधरी	---	---	---	आमगांवछोटा
46	विष्णु	2500	रामनाथ मेहरा	---	---	नरसिंहपुर	पाठकवार्ड
47	अन्नीलाल	2500	गुलजारी मेहरा	---	---	---	कपूरी
48	हक्कीबाई	2500	अन्नीलाल मेहरा	---	---	---	कपूरी
49	जमनाबाई	2500	नेतराम ठाकुर	---	---	---	उमरिया
50	मेरसिंह	6250	गुट्टू चौधरी	---	---	---	बाघपोड़ी
51	कलाबाई	6250	मेरसिंह चौधरी	---	---	---	बाघपोड़ी
52	पेराबाई	2500	गेदालाल जाटव	---	---	---	पिपरिया लिंगा
53	छोटीबाई	2500	दुलीचंद जाटव	---	---	---	लिलवानी
54	बाबूलाल	2500	दुलीचंद जाटव	---	---	---	लिलवानी
55	चरनसिंह	6250	जगतसिंह चौधरी	---	---	---	उमरिया
56	कु.सपना	6250	राजकुमार मेहरा	---	---	---	गोटेगांव
57	दुर्गाबाई	2500	गेदालाल गोड़	---	---	---	भैरोपुर
58	घनश्याम	2500	नन्हूसिंह राजगौड़	---	---	---	बाघकुड़ी
59	कु.नेहा	2500	केदारप्रसाद मेहरा	---	---	करेली	हनुमानवार्ड
60	टीकाराम	25000	रामचरन मेहरा	---	---	---	देवरी
61	विश्राम	2500	श्रीलाल ठाकुर	---	---	---	मुकन्दा
62	अनीताबाई	2500	चौखेलाल चौधरी	---	---	---	खोबी
63	कु.बिनीता	25000	सुरेन्द्रसिंह गोड़	---	---	---	मौथेगांव
64	कु.रीताबाई	25000	रोशनलाल सिलावट	---	---	---	रिमझा
65	उमाशंकर	2500	भोलेसिंह लढिया	---	---	---	सिमरिया
66	नन्हैलाल	2500	सरदारसिंह राजगौड़	---	---	---	खडई
67	नन्दा	2500	खुशाल मेहरा	---	---	---	बसुरिया
68	सियाबाई	2500	पति सियाराम मेहरा	---	---	---	समनापुर
69	परषोत्तम	2500	लालसिंह मेहरा	---	---	---	भरवारा
70	लालसिंह	2500	छोटेलाल मेहरा	---	---	---	भरवारा
71	रामकृष्ण	2500	रामगोपाल चौधरी	अत्या.निवा.	नरसिंहपुर	---	सूखाखैरी
72	चौहान	2500	मोहनसिंह मेहरा	अधि. अंतर्गत	---	---	मुडिया
73	भूरी बाई	6250	वेवा चेताराम गौड़	---	---	---	मुगवानी
74	कु.विनीताबाई	2500	मुन्नालाल गोड़	---	---	---	मंजनी
75	गुट्टा	2500	बसौरीलाल चमार	---	---	---	कैलकच्छ
76	कु.प्रतिभा	2500	तुलसीराम मेहरा	---	---	---	बेदू
77	महेश	2500	शंकरलाल कतिया	---	---	---	सालेचौका
78	पप्पू	2500	हरिसिंह मिर्धा	---	---	गाडरवारा	शास्त्रीवार्ड
79	दौलतसिंह	2500	गन्नुसिंह मिर्धा	---	---	गाडरवारा	शास्त्रीवार्ड
80	प्यारेलाल	2500	बिरजूगोड़	---	---	---	खैरी बिलहरा
81	रामप्रसाद	2500	मुकुन्दी गोड़	---	---	---	खैरी बिलहरा
82	सुन्दरलाल	2500	रामदयाल गोड़	---	---	---	खैरी बिलहरा
83	लक्ष्मण	2500	कढ़ोरीलाल गोड़	---	---	---	खैरी बिलहरा
84	रामसखीबाई	25000	आकाश गौड़	---	---	---	सुजानपुरा
85	देवकीबाई	2500	दम्पू चौधरी	---	---	---	आडेगांव
86	छोटेलाल	2500	सूरतसिंह चौधरी	---	---	---	रामपिपरिया
87	मीराबाई	2500	सूरतसिंह चौधरी	---	---	---	रामपिपरिया
88	लालजी	2500	भैयालाल मेहरा	---	---	---	देवनगर नया
89	गोधनलाल	2500	बीरन मेहरा	---	---	---	देवनगर नया
90	रामदयाल	2500	दौलत चौधरी	---	---	---	खमरियारीछई
91	नेतराम	2500	दामोदर चौधरी	---	---	---	---
92	झब्बूलाल	2500	दामोदर चौधरी	---	---	---	---
93	रबिंशंकर	2500	दौलत चौधरी	---	---	---	---
94	कु.तुलसा	25000	चर्तुभुज चौधरी	---	---	---	रौंसरा
95	प्रेमनारायण	2500	रामदास मेहरा	---	---	---	शाहपुर

13.1

अत्याचार अधिनियम अंतर्गत अनु.जाति/जनजाति के लाभार्थियों की सूची 2005-06

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्लिदयत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म. नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखन	2500	दददू गोड़	अत्या.निवा. अधि. अंतर्गत	नरसिंहपुर	—	तेन्दूखेड़ा	
2	सुमतिया	2500	दीवानचंद उर्फ सागर परधान	—	—	नरसिंहपुर	शिवाजीवाड	
3	मुन्नालाल	2500	रम्मा ठाकुर	—	—	—	पाठकवाड	
4	गौरीशंकर	2500	राधेलाल चमार	—	—	—	खैरीकला	
5	दुर्जन	2500	फूलसिंह मेहरा	—	—	—	मुआर	
6	मंगोबाई	2500	फूलसिंह मेहरा	—	—	—	मुआर	
7	सुकका(सुकराम)	2500	जम्मनसिंह ठाकुर	—	—	—	मेहरागांव	
8	स्वर्णप्रभा	2500	रामकुमार परधान	—	—	—	कछुआ	
9	संतोष	2500	स्व.बाबूलाल परधान	—	—	—	कछुआ	
10	रासकुमार	2500	बाबूलाल परधान	—	—	—	कछुआ	
11	प्रतापसिंह	2500	फूलसिंह ठाकुर	—	—	—	चीलाचौनखुर्द	
12	अन्नोबाई	2500	लालचंद मेहरा	—	—	—	बाघपोड़ी	
13	अन्नीलाल	2500	नन्हेलाल	—	—	—	तिंदनी	
14	कुसुमलता	2500	गौरीशंकर चौधरी	—	—	—	कपूरी	
15	हाकमसिंह	2500	श्यामलाल बसोर	—	—	—	भैसा	
16	प्रेमवती	2500	हाकमसिंह बसोर	—	—	—	भैसा	
17	प्रहलादसिंह	1250	पूरन गौड़	—	—	—	खैरी	
18	तुलसाबाई	25000	सुदामा चडार	—	—	—	खमरिया	
19	कु.सविताबाई	25000	भूरलाल चमार	—	—	—	बम्हौरी	
20	चतरे उर्फ छगन	1250	सवलसिंह महोविया	—	—	—	कोड़िया	
21	केशरबाई	1250	शंकरसिंह गौड़	—	—	—	आमगांववड़ा	
22	सरिता	1250	रामनाथ बसोर	—	—	—	कुड़ारी	
23	चंदा उर्फ चंद्रवती	150000	मू.राजाराम गौड़	—	—	—	घोघरा	
24	नेतराम	1250	अनंदी चमार	—	—	नरसिंहपुर	इतवाराबाजार	
25	सुमनबाई	1250	रामचरन चमार	—	—	—	भरवारा	
26	वलवान	1250	राधेलाल चमार	—	—	—	डुगरिया	
27	विजनबाई	1250	कमलेश चमार	—	—	—	ढिगसरा	
28	खरगोबाई	1250	लोटनसिंह चमार	—	—	—	मुआर	
29	हल्के	1250	हल्कू गोड़	—	—	—	खोबी	
30	पीतम	1250	आशाराम चमार	—	—	—	सिंहपुर छोटा	
31	रामस्वरूप	1250	गोकुलप्रसाद मेहरा	—	—	—	घाटपिंडरई	
32	हलकन	1250	होतीलाल चमार	—	—	—	रम्पुरा	
33	गनेश	1250	लालजी चमार	—	—	—	बेलखेड़ा	
34	बंटी उर्फ अजय	1250	मिश्रीलाल गौड़	—	—	नरसिंहपुर	इंदिरावाड	
35	नारायण	1250	दुर्जन चमार	—	—	नरसिंहपुर	संजयवाड	
36	कमलकिशोर	1250	लल्ली अहिरवार	—	—	—	मिढवानी	
37	कु.भागवती	1250	सूरजराम गौड़	—	—	नरसिंहपुर	शास्त्रीवाड	

13.1

0 कार्यक्रम / योजना का नाम:- अनुसूचित जाति कन्या सौभाग्यवती योजना

0 कार्यक्रम / योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- वित्तीय वर्ष

0 कार्यक्रम का उद्देश्य:- अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता पहुंचाना

0 लाभार्थी को पात्रता :- उक्त योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत होने पर एवं पात्रता निर्धारित होने पर 5000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

0 पूर्वापेक्षायें :- आवेदक द्वारा आवेदन देने पर एवं उसमें उल्लेखित प्रमाण पत्रों के होने पर कार्यवाही का

सम्पादन

0 अनुदान सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:- आवेदन के परीक्षण उपरान्त स्वीकृति की जाकर हितग्राही को

भुगतान किया जाता है ।

0 पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड:- परिवार का गरीबी रेखा में होना, कन्या की आयु 18 वर्ष से

कम न होना, म.प्र.का मूल निवासी होना, इस योजना के मानदण्ड है ।

0 दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण :- हितग्राही को 5000/- अनुदान राशि बैंक ड्राफ्ट माध्यम से प्रदान की जाती है ।

0 अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया:- 5000/- तक की सहायता बैंक चैक के माध्यम से एवं इससे अधिक राशि का वितरण एफ.डी. बनाकर किया जाता है ।

0 आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें :- जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर

0 आवेदन शुल्क:- कोई शुल्क वांछित नहीं ।

0 अन्य शुल्क:- कोई शुल्क बांछित नहीं ।

0 आवेदन का प्रारूप:- उक्त योजना में स्थानीय आवेदन प्रारूप में आवेदन करने पर स्वीकृति दी जाती है ।

0 संलग्नकों की सूची:- निरंक

0 संलग्नकों का प्रारूप:- निरंक

0 प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें:- जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर

0 उपलब्ध धनराशि का विवरण:- जिला स्तर पर आवंटन प्राप्त होता है ।

अनुसूचित जाति सौभाग्यवती योजना में लाभार्थियों की सूची 2004-05

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म. नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोदूलाल	5000	गुरुदयाल	सौभाग्यवती कन्या विवाह हेतु	नरसिंहपुर	-	बडगुवा	
2	प्रेमलाल	5000	कालूराम		-	-	सर्रा	
3	बालचंद	5000	दौलत चमार		-	-	भौरझिर	
4	जुगराज	5000	कन्हैयालाल	-	-	मनकवारा		
5	सरदार	5000	आशाराम	-	-	मनकवारा		

6	परमानंद कतिया	5000	—	—	—	गोटेगांव	गांधीवाड	
7	चुन्नीलाल	5000	डुल्लीचंद बसोर	—	—	नरसिंहपुर	बेलापुरकरवाड	
8	रोशनसिंह चमार	5000	—	—	—	—	श्रीनगर	
9	देवाबाई चमार	5000	—	—	—	—	करेली	
10	पूरनलाल	5000	—	—	—	—	इमलिया	
11	भैयालाल	5000	होरीलाल	—	—	—	गढ़ाघाट	
12	चंदाबाई	5000	रामकुमार मेहरा	—	—	—	नकटुआ	
13	अन्नीलाल	5000	अमोलसिंह चमार	—	—	—	भौरझिर	

13.1

अनुसूचित जाति सौभाग्यवती योजना में लाभार्थियों की सूची 2005-06

विभाग द्वारा प्रदत्तक.	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बन्धियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म. नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालमसिंह	5000	गुलाब कुचबंदिया	सौभाग्यवती	नरसिंहपुर	गोटेगांव	भगतसिंहवाड	
2	अमरसिंह	5000	गंगाराम कोरी	कन्या	—	—	देवनगरपुराना	
3	द्वारकाप्रसाद	5000	तेइया चमार	विवाह हेतु	—	—	धमना	
4	नर्मदाप्रसाद	5000	बारेलाल चमार	—	—	—	श्रीनगर	
5	तुलसीराम	5000	नन्हेलाल मेहरा	—	—	—	पीपरपानी	
6	लक्ष्मीप्रसाद	5000	सुखराम मेहरा	—	—	—	महुआखेड़ा	
7	नारायण	5000	नब्बू चडार	—	—	—	बगासपुर	
8	डोरीलाल	5000	परमू मेहतर	—	—	—	खमरियाझांसी	
9	चाउलाल	5000	हरवंश चमार	—	—	गोटेगांव	हरदोलवाड	
10	बीरन	5000	मंगलसिंह चमार	—	—	—	बरोदा	
11	अन्नीलाल	5000	सुककू मेहरा	—	—	—	रामनगरपाला	
12	अमरसिंह	5000	डब्बूचमार	—	—	करेली	हनुमानवाड	
13	नन्दू	5000	मंगोली चमार	—	—	गोटेगांव	गांधीवाड	
14	सुरेश	5000	हरिराम चमार	—	—	गोटेगांव	गुरुनानकवाड	
15	मौजीलाल	5000	छिकोड़ी चमार	—	—	—	पडरिया	
16	रामलाल	5000	लीलाधर चमार	—	—	—	कंजई	
17	एलमसिंह	5000	रामदयाल मेहरा	—	—	—	बीतली	
18	द्वारकाप्रसाद	5000	डब्बल चमार	—	—	—	उमरिया	
19	अंतराम	5000	चेतराम चमार	—	—	—	सालेचौका	
20	रामकुमार	5000	डब्बल चमार	—	—	—	बगासपुर	
21	मोहन	5000	प्रेमसिंह खंगार	—	—	—	तेन्दूखेड़ा	
22	सालिकराम	5000	भैयालाल अहिरवार	—	—	—	मोहपा	
23	रामचरन	5000	रखई चमार	—	—	—	भैसा	
24	रूपराम	5000	तोडल मेहतर	—	—	गाडरवारा	भटेरा	
25	कोमलप्रसाद	5000	भैयालाल बसोर	—	—	—	हनुमानवाड	
26	रम्मू	5000	बाबूलाल मेहरा	—	—	—	सुदरास	
27	डब्बू	5000	गनेश मेहरा	—	—	—	हिनोतिया	
28	मुन्नीबाई	5000	हरप्रसाद मेहरा	—	—	—	खैरीसुदरास	
29	नारायण	5000	मोतीलाल मेहरा	—	—	—	खैरीसुदरास	
30	केपसिंह	5000	हेमराज चमार	—	—	—	तिघरा	
31	गुलाबसिंह	5000	हुलकर मेहरा	—	—	—	लिधारी	
32	मुन्नीलाल	5000	हरकिशन चमार	—	—	—	बारहाबड़ा	
33	नब्बोबाई	5000	होरीलाल मेहरा	—	—	—	बगासपुर	
34	हरगोविन्द	5000	कछेदीलाल जाटव	—	—	—	चिरिया	
35	बैजनाथ	5000	सुम्मे चमार	—	—	—	वासनपानी	
36	महेश	5000	कढोरीलाल जाटव	—	—	—	इमलिया	

37	लोकमन	5000	जीवनलाल मेहरा	—	—	गोटेगांव	चमरुआ	
38	जालमसिंह	5000	गुलाबसिंह कुचबंदिया	—	—	—	भगतसिंहवाड़	
39	कढ़ोरीलाल	5000	चुन्नीलाल चमार	—	—	—	दिघोरी	
40	भोलाराम	5000	जीवनलाल चमार	—	—	—	बम्हनी	
41	भजनलाल	5000	लटाकु महार	—	—	—	नकटुआ	
42	तरवरसिंह	5000	छिदामीलाल चमार	—	—	—	कुकलाह	
43	गेंदालाल	5000	परमलाल मेहरा	—	—	नरसिंहपुर	बम्हौरी	
44	गनपत	5000	फग्गूलाल मेहरा	—	—	—	शंकराचार्यवाड़	
45	बसौरी	5000	हक्कू मेहरा	—	—	—	कल्याणपुर	
46	मोतीबाई	5000	हरप्रसाद जाटव	—	—	—	करेली वस्ती	
47	लेखराम	5000	मोहनलाल कोरी	—	—	—	बम्हौरी	
48	फूलचंद	5000	मुकुन्दी जाटव	—	—	—	इमलिया	
49	भगवानदास	5000	तुलसीराम चमार	—	—	नरसिंहपुर	शास्त्रीवाड़	
50	राधेलाल	5000	मंशाराम मेहरा	—	—	—	अनघोरी	

13.1

0 कार्यक्रम / योजना का नाम:- अनुसूचित जाति,जनजाति राहत योजना 1979

0कार्यक्रम /योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- वित्तीय वर्ष

0 कार्यक्रम का उद्देश्य:- अनुसूचित जाति,जनजाति के ऐसे जरूरत मंद लोगों का तुरन्त राहत पहुंचाना जो अपने निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में है जिन्हे जरूरत पूरी करने के लिए अन्य कोई स्रोत उपलब्ध न हो ।

0लाभार्थी को पात्रता :- उक्त अपाहिज,जीवकोपार्जन में असमर्थ,दुर्घटना एवं देवीय प्रकोप के कारण, मुखिया के निधन हो जाने से ।

0पूर्वापेक्षायें :- आवेदकों द्वारा स्थानीय स्तर के आवेदन पत्र पर आवेदन करने के उपरान्त ।

0अनुदान सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:-आवेदक द्वारा जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

0 पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड:-आवेदन के साथ जिस हेतु राहत चाही गई है के विषय में

सरपंच,जनपद,नगरपालिका,मंडल संयोजक,विधायक,संसद सदस्य में से किसी एक के द्वारा तस्दीक होने पर एवं बांछित जाति प्रमाण पत्र संलग्न होने पर स्वीकृति दी जाती है ।

0दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण :-उक्त योजना में श्रेणी ख अंतर्गत कमाने वाले व्यक्ति को 1000/- एवं 500/- तथा न कमाने वाले व्यक्ति के लिए 2000/- एवं 1000/-तक की सहायता बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती है ।

0 अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया:- सहायता बैंक चैक के माध्यम से की जाती है ।

0 आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें :- जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर

0आवेदन शुल्क:- कोई शुल्क वांछित नहीं ।

0अन्य शुल्क:- कोई शुल्क बांछित नहीं ।

0आवेदन का प्रारूप:-उक्त योजना में कार्यालयीन प्रारूप में आवेदन करना होगा ।

0संलग्नकों की सूची:- निरंक

0संलग्नकों का प्रारूप-निरंक

0प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें:- जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर

0उपलब्ध धनराशि का विवरण:-जिला स्तर पर आवंटन प्राप्त होता है ।

अनुसूचित जनजाति सामान्य राहत में लाभार्थियों की सूची 2004-05

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्लिदयत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म. नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनीताबाई	2000	गोतम गोड़	संकटापन	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पाठकवाड़	

2	बैजन्तीबाई	2000	गयाप्रसाद गौड़	—			रायपुर	
3	घनश्याम	2000	दम्भूलाल गौड़	—	—	—	गौरतला	

अनुसूचित जनजाति सामान्य राहत में लाभार्थियों की सूची 2005-06

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्लिदयत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म. नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नन्हा आझा	2000	—	संकापन्न	नरसिंहपुर	—	बिलगुंवा	
2	जमनाप्रसाद ओझा	2000	—	—	—	—	—	

13.1

अनुसूचित जाति सामान्य राहत में लाभार्थियों की सूची 2004-05

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्लिदयत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म. नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वनवारी	2000	इमरत मेहरा	संकापन्न /	नरसिंहपुर	—	श्रीनगर	
	ब्रजलाल	1000	उदल बसोर	कन्याविवाह	—	—	सालीवाड़ा	
	मालतीबाई	1000	गोपाल झारिया	—	—	—	गोटेगांव	
	श्यामलाल	1000	बीरनसिंह बसोर	—	—	—	मगरधा	
	टीकाराम	2000	डिलई चमार	—	—	—	बगासपुर	
	कमलेश	2000	सुक्का चमार	—	—	—	दुरसुरु	
	गोपाल	1000	रामचरन मेहरा	—	—	—	पलेरा	
	छोटीबाई	1000	बेनीप्रसाद चमार	—	—	—	सांकल	
	हक्कूप्रसाद	1000	खुमानसिंह मेहरा	—	—	—	मेख	
	लेखराम	1000	अन्नीलाल चमार	—	—	—	करोंदा	
	नोनीलाल	1000	बहुलाल चमार	—	—	—	उमरिया	
	ख्याली	1000	कीरत चमार	—	—	—	उमरिया	
	लक्ष्मीप्रसाद	1000	डब्ल बसोर	—	—	—	उमरिया	
	भगवानदास	1000	नारायण चमार	—	—	—	उमरिया	
	चुन्नीलाल	1000	गोकलप्रसाद चमार	—	—	—	बरखेड़ा	
	रामप्रसाद	1000	भैयालाल मेहरा	—	—	—	भैसापाला	
	दशोदाबाई	1000	बालाराम मेहरा	—	—	—	—	
	छोटेला	1000	कढोरीलाल बसोर	—	—	—	मनकवारा	
	देवीप्रसाद	1000	शिवराज लढ़िया	—	—	—	नयागांव	
	टावलसिंह	1000	थम्मनसिंह चमार	—	—	—	—	
	मुलामसिंह	1000	गुलाबसिंह चमार	—	—	—	मचवारा	
	मातवरसिंह	1000	सुखलाल चमार	—	—	—	नयागांव	
	चेतराम	1000	कढोरलाल चमार	—	—	—	नयागांव	
	रोशनलाल	1000	नबूचमार	—	—	—	नयागांव	
	मुन्नालाल	1000	नन्हे चमार			नरसिंहपुर	किसानीवाड़	
	दुर्गाप्रसाद	2000	सुखराम चमार	—	—	—	बंधी	
	नीमाबाई	2000	हल्के चमार	—	—	—	रामपिपरिया	
	मुनीम	2000	घांसीराम बाल्मीक	—	—	—	करपगांव	
	गिरिजाबाई	2000	जीरालाल चमार	—	—	नरसिंहपुर	आजादवाड़	

	टीकाराम	2000	मनवोध चौधरी	—	—	—	बेलखेड़ा	
	नन्हूप्रसाद	2000	बाबूलाल मिर्धा	—	—	—	पतलोन	

अनुसूचित जाति सामान्य राहत में लाभार्थियों की सूची 2005-06

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	म. नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुन्नीबाई डेहरिया	2000	—	संकटापन्न	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पाठकवार्ड	
2	पूनावाई	2000	मोतीलाल चमार	—	—	—	देड़वारा	

अध्याय – 14 (मैनुअल –13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बंध में विवरण

- 14.1 विभाग द्वारा रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राप्त प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बंध में विवरण निरंक है।

प्राप्तिकर्ताओं की सूची

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैद्यता किस दिनांक तक है	बल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	मकान नं.
निरंक							


अध्याय – 15 (मैनुअल –14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु शासन द्वारा दिए गए मानक/नियमों का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयीन पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :-

- 0 विभिन्न शाखाओं में वित्तीय वर्ष के लिए कार्यालय सहायकों द्वारा उपलब्ध आवंटन की नस्ती तैयार करना।
- 0 योजना में दिए गए निर्देशानुसार प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों का परीक्षण कर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।
- 0 सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित योजनाओं में सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन देना।
- 0 दिए गए अनुमोदन अनुसार योजना की प्राप्त आवंटन से राशि का आहरण करना एवं सम्बंधितों को भुगतान करना।
- 0 योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी समीक्षा हेतु मासिक, त्रैमासिक रूप से विभागाध्यक्ष एवं सम्बंधित अधिकारियों को भेजना।

कृत्यों के निर्वहन के लिए विभागीय रचनाक्रम



क्षेत्र संयोजक ▲	लेखापाल ▲	क्षेत्र संयोजक ▲
कनिष्ठ लेखाअधिकारी	आडिट निर्माणशाखा	स्थापनाशाखा
छात्रवृत्तिशाखा	कैशियर	स्टोरशाखा
शिष्यवृत्तिशाखा		योजनाशाखा
		अत्यानिवारण शाखा
		अन्य शाखायें

अध्याय – 16 (मैनुअल –15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

16.1 विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में उपलब्ध आवंटन, व्यय आदि से सम्बंधित जानकारी विभागाध्यक्ष के

द्वारा दिए गए मुद्रा साफ्टवेयर में रखी जाती है, एवं ई-मेल के द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रेषित की

जाती है। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं के विषय में विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा दिए गए निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी तैयार रखी जाती है, एवं समीक्षा बैठकों में इसका उपयोग किया जाता है।

अध्याय – 17 (मैनुअल –16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 0 पुस्तकालय – विभागीय पुस्तकालय की उपलब्धता नहीं है।

0 नाटक/नुक्कड़ – निरंक

0 अखबारों के द्वारा – विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के द्वारा किया जाता

है।

0 प्रदर्शनी – निरंक

0 सूचना पटल – जिला स्तर पर सूचना के अधिकार, का सूचना पटल रखा गया गया है।

0 अभिलेखों का निरीक्षण – सूचना के अधिकार अनुसार ।

0 दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था – सूचना के अधिकार अंतर्गत दस्तावेज प्राप्त

किए जा सकते हैं।

0 उपलब्ध विभागीय मैनुअल – विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय योजनाओं का संकलन पुस्तिका के

रूप में उपलब्ध है।

- 0 लोक प्राधिकरण की बैवसाइट – इस विभाग की जिला स्तर पर कोई बैवसाइट नहीं है ।
- 0 अन्य प्रचार-प्रसार के साधन – विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विकासखण्ड स्तर पर जनजागरण शिविरों का आयोजन किया जाता है, एवं वित्तीय वर्ष में एक बार अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र में समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने हेतु सद्भावना शिविर का आयोजन किया जाता है ।

अध्याय – 18 (मैनुअल –17)

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

- 18.1 जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर –** जनमानस द्वारा विभाग से सामान्यतः विभिन्न प्रमाण पत्रों यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के विषय में एवं विभिन्न योजनाओं में आवेदन हेतु पात्रता के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विषयों में शासन के नवीन निर्देशानुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उनके लेमीनेशन के निर्देश हैं। साथ ही वर्तमान में स्थानीय जाति प्रमाण पत्र हेतु कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी तथा अस्थायी प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार अधिकृत हैं। अस्थायी जाति प्रमाण पत्रों से छात्रवृत्ति सम्बंधी पात्रतायें आती हैं। स्थायी जाति प्रमाण पत्र के निर्माण हेतु अधिकतम सीमा 6 माह निर्धारित की गयी है। विभिन्न योजनाओं में सामान्यतः गरीबी रेखा (बी.पी. एल. सर्वे) एवं आय वर्ग तथा अन्य पात्रतायें होती हैं, जिन्हें पृथक-पृथक योजनाओं में परिभाषित किया गया है।
- 18.2 सूचना प्राप्त करने के सम्बंध में –**
- 0 आवेदन पत्र – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत प्रपत्र-एक में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन का प्रारूप संलग्न है ।

- 0 शुल्क – शासन निर्देशानुसार 5/- नगद/स्टॉप देय होगी।
- 0 सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाये :- सूचना आवेदन प्रपत्र दो में वांछित

जानकारी के प्रकार अंतर्गत सूचना की मांग की जावे।

- 0 सूचना न देने व अपील करने के सम्बंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की

प्रक्रिया :- सूचना के अधिकार अंतर्गत 30 दिवस में सूचना न देने अथवा आवेदन निरस्त

करने पर सूचना के अधिकार अंतर्गत विभाग के अपीलेट अधिकारी अपर कलेक्टर से अपील की जा सकती है।

जिला स्तरीय प्रक्रिया

स. क्र.	जिला कार्यालय का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी का पदनाम	अपीली अधिकारी का नाम
1	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण	क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण	जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अपर कलेक्टर

अधीनस्त संस्था स्तरीय प्रक्रिया

स. क्र.	जिला कार्यालय का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी का पदनाम	अपीली अधिकारी का नाम
1	छात्रावास/आश्रम शालाएँ	संबंधित अधीक्षक/अधीक्षिका	क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण

प्रपत्र
-एक

18.2 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अंतर्गत)

1. आवेदक का नाम:- टीकाराम चौधरी

2. पूरा पता /ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है:-ग्राम बेलखेड़ा पो.बेलखेड़ा तह.

जिला नरसिंहपुर

3. दूरभाष क्रमांक:-निल

4. आवेदन देने का दिनांक :- 6.10.2005

5. कार्यालय का नाम:- जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग नरसिंहपुर

6. चाही गई जानकारी का विवरण :-कन्या सौभाग्यवती योजना में योजना नियम एवं वर्ष 2004-05 में

स्वीकृत हितग्राहियों की सूची ।

7. क्या चाहते हैं:- रिकार्ड की प्रमाणित प्रति

नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना

8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसिसफी:-आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है ।

रु.5/- नगद/स्टाम्प(बी.पी.एल.सूची के सदस्य को देय नहीं)

रसीद क्रमांक एवं दिनांक :- निल

9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं :- हां

यदि हां तो बी.पी.एल.सूची का अनुक्रमांक:-ग्राम पंचायत बेलखेड़ा- 28

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

टीप:- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रु. 5/- का स्टाम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड /यू.पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें (बी.पी.एल.सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक:- 6.10.05

2. आवेदनकर्ता को बांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का

दिनांक :- 11.10.05

3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी :-अनुसूचित जाति राहत शाखा

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक

सूचना

अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

पदनाम(रवर सील)

दिनांक 6.10.2005

18.3 जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बंध में :-विभाग द्वारा जिला स्तर पर जनता को प्रशिक्षण दिए जाने के सम्बंध में वर्तमान में कोई निर्देश नहीं हैं।

18.4 विभाग द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान में नहीं दिए जाते हैं।

18.5 विभाग द्वारा कोई पंजीयन नहीं किया जाता।

18.6 विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का टेक्स नहीं लिया जाता।

18.7 यह कण्डिका इस विभाग से सम्बंधित नहीं हैं।

18.8 इस विभाग द्वारा शासन निर्देशानुसार नागरिकों को कोई अन्य सेवार्यें नहीं दी जाती हैं।
